

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 968/2011/चुरु.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-चुरु.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री राम फिलिंग स्टेशन, सरदारशहर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 09/08/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 440/आरवेट/चुरु/09-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.09.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, चुरु (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.03.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पेट्रोलियम डीलर के रूप में कम्पोजिशन स्कीम दिनांक 09.04.2007 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त बिक्री को कर योग्य मानते हुए उस पर कर एवं विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया गया था जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 3(2) में विकल्प लिया हुआ था। कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म के वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2009 को वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत गलत रूप से पारित किया जाना अवधारित किया गया एवं यह निर्णय दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो विवरण पत्र प्रस्तुत किये गये थे, उसके अनुसार कर निर्धारण नहीं करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी का यह दायित्व था कि वह धारा 24 में सम्मन जारी कर कमी पूर्ति करवाते जबकि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाना पाया गया, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी



लगातार.....2

द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.120/NAP Tax CCT/85 PT 111/1247 दिनांक 19.07.2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए पुनः कर निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसके विरुद्ध राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।


3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं है एवं कर निर्धारण आदेश को निरस्त कर पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश अपास्त योग्य है।

4. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलीय आदेश के अध्ययन पर यह पाया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किया गया था जो विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत किये जाने वाले आदेश में वे ही टर्नओवर एवं कर दायित्व निर्धारित किये जा सकते हैं जो किसी व्यवसायी द्वारा अपने विवरण पत्रों में प्रस्तुत किये जाते हैं। यदि विवरण पत्रों में दशाये गये टर्नओवर एवं कर देयता में किसी भी तरह की त्रुटि होना अवधारित किया जाता है तो उस स्थिति में धारा 23 में कर निर्धारण करने के स्थान पर वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य प्रक्रिया है जिससे कि कोई व्यवसायी किसी भी तरह की कमी की पूर्ति कर सके परन्तु इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस दायित्व को पूरा किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर दायित्व में वृद्धि करते हुए आदेश पारित कर दिया गया जो उचित नहीं है। इसी कारण अपीलीय अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जो न्यायसम्मत एवं विधिसम्मत है। अतः राजस्व की अपील अस्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के निर्देशों के अनुसार कर निर्धारण आदेश पुनः पारित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

6. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य